HRA En USIUM The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸੰ. 1127] No. 1127] नई दिल्ली, सोमबार, सितम्बर 17, 2007/भाद्र 26, 1929 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 17, 2007/BHADRA 26, 1929

पर्यावरण और वन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2007

का.आ. 1556(अ).—अधिसूचना संख्यांक का.आ. 671(अ), तारीख 30 सितम्बर, 1996 द्वारा तमिलनाडु राज्य के लिए पारिस्थित की क्षति (निवारण और प्रतिकर का संदाय) प्राधिकरण का गठन किया गया था;

और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1007(अ), तारीख 22 जून, 2007 द्वारा उक्त प्राधिकरण के सदस्य-सचिव (अगले आदेशों तक अतिरिक्त प्रभार) के रूप में डॉ. जी. ओबलीसामी, सदस्य, तिमलनाडु पर्योवरण और प्रदूषण नियंत्रण अपील प्राधिकरण को नियुक्त किया गया था;

और डॉ. जी. ओबलीसामी, भारत में नहीं है और उक्त प्राधिकरण के सदस्य-सचिव के कर्तव्य पालन करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं:

अत: अब, केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनयम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए तिमलनाडु राज्य के लिए पारिस्थिति की क्षिति (निवारण और प्रतिकर का संदाय) प्राधिकरण के सदस्य-सिचव का अतिरिक्त प्रभार डॉ. के. वेंकटरामन, सदस्य-सिचव, राष्ट्रीय जैविविविधता प्राधिकरण को देती है और अधिसूचना सं. का.आ. 671(अ), तारीख 30 सितम्बर, 1996, में उक्त प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:—

उक्त अधिसूचना में,---

 क्र. सं. (4) से संबंधित प्रविष्टियों में "सदस्य-सचिव (अगले आदेश तक अतिरिवत प्रभार)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर "सदस्य" शब्द रखा जाएगा;

- (ii) क्र. सं. (5) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्निलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात:—
 - "(5) डा. को. बेंकटरामन, —सदस्य-सचिव सदस्य-सचिव, (अगले आदेशों तक राष्ट्रीय जैवविविधता अतिरिक्त प्रभार)"। प्राधिकरण

[फा. सं. जेड-20018/1/2007-सी.पी.ए.]

आर. के. वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पण : तमिलनाड राज्य के लिए पारिस्थितिकी क्षति (निवारण और प्रतिकर का संदाय) प्राधिकरण गठन करने वाली अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में सं. का.आ. 671(अ), तारीख 30 सितम्बर, 1996 में प्रकाशित की गई थी और पश्चातवर्ती संशोधन का.आ. 710(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 1996; का.आ. 590(अ), तारीख 15 जुलाई, 1998: का.आ. 823(अ), तारीख 16 सितम्बर, 1998; का.आ. 621(अ), तारीख 2 अगस्त, 1999; का.आ. 972(अ), तारीख 28 सितम्बर, 2001; का.आ. 130(अ), तारीख 28 जनवरी, 2002; का.आ. 348(अ), तारीख 28 मार्च, 2002; का.आ. 1044(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2002; का.आ. 1063(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2004; का.आ. 1432(अ), तारीख 31 दिसम्बर, 2004; का.आ. 1639(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2006; का.आ. 50(अ), तारीख 17 जनवरी, 2007; का.आ. 506(अ), तारीख 31 मार्च, 2007; और का.आ. 1007 (अ), तारीख 22 जून, 2007 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2007

S.O. 1556(E).—Whereas, the Loss of Ecology (Prevention and Payments of Compensation) Authority for the State of Tamil Nadu was constituted *vide* notification number S.O. 671(E), dated the 30th September, 1996;

And, whereas, Dr. G. Oblisamy, Member, Tamil Nadu Environment and Pollution Control Appellate Authority was appointed as Member-Secretary (Additional Charge till further orders) of the said Authority *vide* notification number S.O. 1007(E), dated the 22nd June, 2007.

And whereas, Dr. G. Oblisamy is not in India and not available to perform the duties of the Member-Secretary to the said Authority;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby give Additional Charge of the Member-Secretary of the Loss of Ecology (Prevention and Payments of Compensation) Authority for the State of Tamil Nadu to Dr. K. Venkataraman, Member-Secretary, National Biodiversity Authority, and for that purpose makes following further amendments in the notification number S.O.671(E), dated the 30th September, 1996, namely:—

In the said notification,—

 in the entries relating to serial number (4), for the words and brackets "Member Secretary

- (Additional Charge till further orders)", the word "Member" shall be substituted;
- (ii) for serial number (5) and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:—
- "(5) Dr. K. Venkataraman, Member-Secretary (Additional Charge National Biodiversity till further orders)".

[F. No. Z-20018/1/2007-CPA]

R. K. VAISH, Jt. Secv.

Note: The notification constituting the Loss of Ecology (Prevention and Payments of Compensation) Authority for the State of Tamil Nadu, was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number S.O. 671(E), dated the 30th September, 1996 and subsequently amended vide S.O. 710(E), dated the 12th October, 1996; S.O. 590(E), dated the 15th July, 1998; S.O. 823(E), dated the 16th September, 1998; S.O. 621(E), dated the 2nd August, 1999; S.O. 972(E), dated the 28th September, 2001; S.O. 130(E), dated the 28th January, 2002; S.O. 348(E), dated the 28th March, 2002; S.O. 1044(E), dated the 27th September, 2002; S.O. 1063(E), dated the 29th September, 2004; S.O.1432(E) dated the 31st December, 2004; S.O. 1639(E) dated the 29th September, 2006; S.O. 50(E) dated the 17th January, 2007; S.O. 506(E) dated the 31st March, 2007 and S.O. 1007(E) dated the 22nd June, 2007.